सं.36035/7/2008- स्थापना (आरक्षण)

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग

****

नार्थ ब्लाक, नई दिल्ली,

दिनांक 30 मार्च, 2010

कार्यालय ज्ञापन

विषय :-रोजगार हेतु अशक्तता से पीड़ित सरकारी कर्मचारियों के आवेदन पत्रों का अग्रेषण ।

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि विद्यमान अनुदेशों के अनुसार अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से सरोकार रखने वाले केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों के अन्यत्र रोजगार हेतु आवेदन पत्रों को, अत्यन्त दुर्लभ मामलों को छोड़ कर, तुरन्त अग्रेषित कर देना होता है । अशक्तता से पीडित कर्मचारियों को समान सुविधा प्रदान करने के लिए इस विभाग में अभ्यावेदन प्राप्त हुए है ।

2. मामले पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया है कि अशक्त व्यक्ति (समान अवसर, अधिकारों की सुरक्षा और पूर्ण भागीदारी) अधिनियम, 1995 के प्रावधानों के अनुसार अशक्तता से पीडित केन्द्रीय कर्मचारियों के अन्यत्र रोजगार हेतु आवेदन पत्रों को, अत्यन्त दुर्लभ और उन अपवादिक मामलों जहां ऐसे आवेदन पत्रों को रोकने के लिए लोक हित की विवशता हो को छोडकर, तुरन्त अग्रेषित किया जाएगा ।

3. इन अनुदेशों को सभी संबंधितों के ध्यान में लाए जाए ।

(कृष्ण गोपाल वर्मा)

निदेशक

दूरभाष : 23092158

सेवा

i भारत सरकार के सभी कार्यालय/विभाग । आदि ।